– 1 2022/122

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान))

राजस्व प्रार्थना पत्र 38/2022(2022/)

कालूराम पुत्र महादेव नि. मीणों का नयागांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

------प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर (राज) --अप्रार्थी

अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

1. कालूराम –प्रार्थी
2. तहसीलदार केकडी– अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 15.02.2022

प्रार्थी कालूराम पुत्र महादेव के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट उनके पत्र कमांक/भू.अ/2022/611 दिनांक 02.02.2022 से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। जॉच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल पारा के द्वारा जॉच रिपोर्ट की गई जो संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम पारा की जमाबंदी संवत् 2019 स्थायी वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 511 मे किता 5 रकबा 2.67हैक्टर मे महावीर पुत्र छीतर (मृतक) हिस्सा 1/4 के स्थान पर महादेव पिता छीतर हिस्सा 1/4 करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मुताबिक वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 312 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 21.4.1989 में महादेव पिता छीतर दर्ज है। आधार जमाबंदी में खाता संख्या 363 में महादेव पिता छीतर के स्थान पर महावीर पिता छीतर दर्ज कर दिया है। जो कि गलत है। विकय पत्र के अनुसार भी महादेव पिता छीतर दर्ज है। अतः पुराने रिकॉर्ड के अनुसार खाता संख्या 511 में महावीर पुत्र छीतर हिस्सा 1/4 के स्थान पर महादेव पिता छीतर कौम मीना हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। प्रार्थी के पहचान दस्तावेज तथा पुरानी जमाबंदी संवत 2042 के अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069–76 के खाता संख्या 511 हिस्सा 1/4 में प्रार्थी के पिता का नाम महादेव पुत्र छीतर हिस्सा 1/4 इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। बाकी इन्द्राज यथात रहेगे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.05 13:49:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner